

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--::कार्यालय-आदेश::--

श्री आवेद खान, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-चिरपटिया, पाली में राजस्थान सेवा नियम 8 में उल्लेखित कार्यावाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम आबिद खान किया है:-

No	Name	DOB	Designation	School Name	जिला	संशोधन नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	AVED KHAN (RJPA1993290 08012)	01-01-1968	Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIRPATIYA (221221) (08200603601)	PALI	<u>ABID KHAN</u>

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के अभिशंषानुसार श्री आवेद खान के स्थान पर श्री आबिद खान अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्री आवेद खान, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-चिरपटिया, पाली से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम श्री आबिद खान सम्बोधित/जारी किये जावें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

कंमाक: शिविरा/मा/संस्था/ए-2/उपनाम संशोधन/आबिद खान/2021/14 दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

- 1 सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यमिक) मुख्यालय।
- 3 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 4 अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर
- 5 अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता अनुभाग।
- 6 सम्बन्धित, कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 7 निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर